भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/आईएनवी/सीआईआर/027/01/2023 — 31 जनवरी 2023
REF: IRDAI/F&I/INV/CIR/027/01/2023 — 31 January 2023

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: आईआरडीएआई निवेश – मास्टर परिपत्र दिनांक 27 अक्तूबर 2022 से संबंधित विविध विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण

Sub: Clarifications on Miscellaneous Matters relating to IRDAI Investments – Master Circular dated 27th October, 2022

निवेश – मास्टर परिपत्र 27 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मई 2017 में जारी किये गये पहले के निवेश – वर्शन 02 संबंधी मास्टर परिपत्र में संशोधन शामिल किये गये हैं। अक्तूबर 2022 में मास्टर परिपत्र के निर्गम के बाद बीमाकर्ताओं ने कुछ विषयों पर स्पष्टीकरणों की तथा कुछ उपबंधों की प्रयोज्यता के विस्तार की अपेक्षा की है। अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं:

The Investments – Master Circular was issued on 27th October, 2022, which inter-alia, included amendments to the earlier Master Circular on Investments – Version 02 issued in May 2017. Post issuances of the Master Circular in October 2022, insurers have sought clarifications on some issues and extension of applicability of some provisions. After considerations of the representations, the following clarifications are issued:

1. **पैरा 1.3(ग)(6) – "किसी भी समय, किसी एकल म्युचुअल फंड में निवेश म्युचुअल फंडों (सबको एकसाथ लेकर) में कुल निवेश के 20% से अधिक नहीं होगा"**
   Para 1.3(c)(6) – "At any point of time, investment in any single Mutual Fund shall not exceed 20% of the total investment in Mutual Funds (all taken together)"

i) उक्त खंड 1 अप्रैल 2023 से परिचालन में आएगा।
The clause shall come into operation from 1st April, 2023.

ii) प्रत्येक म्युचुअल फंड के लिए 20% की प्रारंभिक सीमा में विनिमय व्यापारित निधियाँ (ईटीएफ) भी शामिल होंगी।
The threshold limit of 20% for each Mutual Fund shall include investments in Exchange Traded Funds (ETFs) also.

2. **पैरा 1.5(3): "बीमाकर्ताओं को एआईएफएस में निवेश करने की अनुमति नहीं है जहाँ यूनिटों के साथ संबद्ध अधिकार परिवर्ती हैं"।**
   Para 1.5(3): "Insurers are not permitted to invest in AIFs where rights attached to the units are varied".

यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ताओं को एआईएफएस की किसी भी योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है जिसके पास कोई प्राथमिकता वितरण माडल विद्यमान हो जिसमें ऐसी एआईएफएस ने एक वितरण प्रपात (वाटरफ़ाल) को इस प्रकार से अपनाया है कि वे उसी वर्ग से संबंधित अन्य निवेशकों की तुलना में अपनी धारिता से संबंधित समानुपातिक स्थिति से अधिक हानियों को साझा करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

It is clarified that Insurers are not permitted to invest in any scheme of AIFs that have a priority distribution model wherein such AIFs have adopted a distribution waterfall in such a way that may lead to share of losses more than pro-rata to their holding, compared to other investors belonging to the same class.

ममता सूरी

(डॉ. ममता सूरी / Dr. Mamta Suri)
(कार्यकारी निदेशक - एफ&आई / Executive Director - F&I)